

म०प्र०शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004
क्रमांक-२१७/1992551/2024/20-3 भोपाल, दिनांक-२९/०४/२०२४
प्रति,

सचिव
सी०बी०एस०ई०,
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वायत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-न्यू काइस्ट चर्च गर्ल्स
सीनियर सेकेण्डरी स्कूल विजयनगर जबलपुर, जिला-जबलपुर, म०प्र० को
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित
शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) फेडरल माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त
संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को
सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाय।


Principal
New Christ Church Girls' Senior Secondary
School Vijay Nagar, Jabalpur

निरन्तर...2


MANAGER
New Christ Church Girls' Senior Secondary School
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner


MANAGER
New Christ Church Girls' Senior Secondary School
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

- //2//
- (5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान
मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रधान की
जायेगी।
 - (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक
होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस
संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पायी गई तो संस्था का अनापत्ति
प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (7) छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकें एवं लेखन सामग्री
खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से
कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
 - (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस
भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध
वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस
हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील
साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
 - (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के
अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की
जायेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के
संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी
करना होगा।
 - (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व
परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना
होगा।
 - (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा
साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं
किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित
पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।
 - (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार
होगा।


Principal
New Christ Church Girls' Senior Secondary
School Vijay Nagar, Jabalpur

निरन्तर...3

Scanned with OKEN Scanner

//3//

- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनायेगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा-शर्तें जो कि राज्य शासन के समरूप होना चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये स्कूल की मान्यता गिलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।
- (16) अशासकीय विद्यालयों में संचालित वाहनों में एक महिला एवं एक पुरुष परिचालक की व्यवस्था की जाय तथा वाहन में निर्धारित सीट से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जाय।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ओ०एल०मण्डलोई)

उप सचिव

Principal

New Christ Church Girls' Senior Secondary School
Vijay Nagar, Jabalpur

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरन्तर....4

MANAGER

New Christ Church Girls' Senior Secondary School
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

//4//

पृ०कमांक-११/१९९२५५१/२०२४/२०-३ भोपाल, दिनांक ११/४/२०२४

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....म०प्र०।
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जबलपुर, म०प्र०।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-न्यू फाइट चर्च गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल विजयनगर जबलपुर, जिला-जबलपुर, म०प्र०।
- (7) फोल्डर प्रति,
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित।

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal

New Christ Church Girls' Senior Secondary School
Vijay Nagar, Jabalpur

MANAGER

New Christ Church Girls' Senior Secondary School
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner